समाहरणालय, सहरसा

(जिला परिवहन कार्यालय)

–:: आदेश ::–

सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–53, दिनांक–10.12.2018 द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–410, दिनांक–10.12.2018 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्यशीर्ष–3055, सड़क परिवहन, उपमुख्य शीर्ष –00–लघशीर्ष –199 अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता–उपशीर्ष–0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–01013301 सब्सिडी मद में मो0–59,00,000/– (उनसठ लाख) रूपये एवं लघुशीर्ष–789, अनुसुचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीश–101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055007890101 विषय शीर्ष–01013301–सब्सिडी मद में मो0–42,00,000/– (बियालीस लाख) रूपये तथा लघुशीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उपशीर्ष–0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055007960101 विषय शीर्ष 01013301 सब्सिडी मद में मो0–1,00,000/– (एक लाख) रूपये कुल मो0–102,00,000/– (एक करोड़ दो लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटित राशि का तत्काल 75 प्रतिशत निम्नांकित शर्तों के अंतर्गत सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सहरसा जिला को निम्न विवरणी के अनुरूप उपावंटित किया जाता है:–

क्र0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम	वर्त्तमान उपावंटित राशि			कुल उपावंटित राशि
		विपत्र कोड–47–3055001990101 (अन्य गैर)	विपत्र कोड–47–3055007890101 (अनुसूचित जाति)	विपत्र कोड–47–3055007960101 (अनुसूचित जनजाति)	
01	02	03	04	05	06
01	प्र0वि0 पदा0, कहरा	300000	900000	00	1200000
02	प्र0वि0 पदा0, नौहट्टा	500000	500000	00	1000000
03	प्र0वि0 पदा0, पतरघट	400000	500000	00	900000
04	प्र0वि0 पदा0, सतरकटैया	100000	400000	00	500000
05	प्र0वि0 पदा0, महिषी	200000	400000	00	600000
06	प्र0वि0 पदा0,सौरबाजार	600000	600000	00	1200000
07	प्र0वि0 पदा0, सोनवर्षा	300000	400000	00	700000
08	प्र0वि0 पदा0, सि0ब0 पुर	400000	500000	00	900000
09	प्र0वि0 पदा0, सलखुआ	200000	200000	00	400000
10	प्र0वि0 पदा0, बनमा इटहरी	100000	200000	00	3000000
11	जिला सुरक्षित	1100000	1300000	100000	2800000
12	कुल योग्य	4200000	5900000	100000	10200000

उपावंटित की शर्तें :–

01 उपरोक्त उपावंटन राशि का व्यय विभागीय स्वीकृति आदेश सं0–410, दिनांक–10.12.2018 में निहित अनुदेश के अनुरूप करेंगें।

02 यह उपावंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एम0/05/1996–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.1998 में विहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा सकता है।

03 लाभुकों को उपावंटित राशि का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–823, दिनांक–05.09.2018 के आलोक में पूरी छान–बीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया

जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी अनियमित भुगतान नहीं हों। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो इस आशय का स्वपोषण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के ऋण भुगतान में किया जायेगा।

04 इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय। ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समूचित ढ़ंग से हो सके।

05 वित्तीय निमयमावली, बजट मैन्युअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

अनुलग्नकः– 01. विभागीय स्वीकृति आदेश सं0–410, दिनांक–10.12.2018 की प्रति संलग्न।

ह0/–
जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक–734/परि0 सहरसा, दिनांक–19/12/2018

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सहरसा /सिमरीबख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को एवं जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा/ सिमरीबख्तियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

19/12/18

जिलाधिकारी
सहरसा।

जिलाधिकारी
सहरसा